हाई कोर्ट ने कहा- छत्तीसगढ़ में अगली सुनवाई तक हर हाल में नियुक्त हो जाए साइबर एक्सपर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगली सुनवाई से पहले हर हाल में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई तय की गई है।

यह याचिका शिरीन मालेवर की ओर से अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा 16 स्थानों पर साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक किसी

13 जुलाई तक नियुक्ति सुनिश्चित करने को कोर्ट ने कहा

फाइल फोटो

भी विशेषज्ञ की तैनाती नहीं हुई है। इस पर पूर्व की सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने भी कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया था।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि आइटी अधिनियम की धारा 79 के तहत राज्य में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य परीक्षक का पद रिक्त है। ऐसे में साइबर अपराधों के मामलों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध एक गंभीर चिंता का विषय है और ऐसे विशेषज्ञ की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र की एक टीम ने छत्तीसगढ़ की साइबर फोरेंसिक लैब का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ कमियां पाई गई थीं। राज्य सरकार द्वारा इन कमियों को दूर कर दिया गया है और अब भारत सरकार से नियुक्ति की स्वीकृति मांगी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञ की नियुक्ति तीन चरणों की प्रक्रिया के बाद ही संभव है।

AnyScanner